निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 22 / 2021
दायरा दिनांकः–15.03.2021
निर्णय दिनांकः– 23.4.25

उनवान

1. मदन आयु 65 वर्ष पुत्र रामकिशन जाति मीणा
2. रामप्रसाद आयु 55 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति धाकड
3. नन्दकिशोर आयु 60 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,188,आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 23.4.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री कृष्ण गोपाल भार्गव – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,88,89,91,188 आर0टी0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया है कि वादीगण के कब्जे काश्त में 40 वर्ष से भी अधिक समय से भूमि खसरा नंबर 641/1 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम भीलवाड़ा नीचा की वादी नंबर 1 मदन काश्त करता हुआ व जुर्माना जमा कराता हुआ आ रहा है। तथा इसी प्रकार भूमि खसरा नंबर 639 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा एवं खसरा नंबर 640 रकबा 05 बीघा भूमि वाके ग्राम भीलवाड़ा नीचा की नन्दकिशोर वादी नंबर 2 एवं इसी प्रकार खसरा नंबर 641 रकबा 05 बीघा वाके ग्राम भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा की वादी नंबर 3 काश्त करता हुआ चले आ रहे है। जिनको लगभग 45 वर्ष से उपर हो चुके है तथा वर्तमान में भी कब्जे काश्त में स्थित है। जिस पर गेंहू चने की फसल बोह रखी है। उपरोक्त वर्णित आराजी को वादीगण 45 वर्ष से काश्त करते व जुर्माना जमा कराते हुए आ रहे है। जिनके पास इस जमीन के अलावा अन्य कोई जमीन नहीं है। केवल रोजी रोटी का साधन यही जमीन है। इन नंबरों में से अन्य कई व्यक्तियों को जमीन ऐलोट होकर खाते बन्द चुकी है। लेकिन वादीगण द्वारा कई बार प्रार्थना पत्र पेश करनने के पश्चात भी वादीगण को न तो अलोट हुई और न ही नियमन की गई है। वादीगण एक गरीब व्यक्ति है, जिसमें से वादी नंबर 1

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अनुसूचित जन जाति का सदस्य है। तथा वादी नंबर 2 और 3 ओबीसी के सदस्य है। जिनके जीवन यापन के लिये यही जमीन है। 5. इस जमीन से प्रतिवादी बेदकल कर वादीगण से कब्जा छुड़ाना चाहता है। यदि प्रतिवादी ने ऐसा किया तो वादीगण भूखे मर जायेगें। इनके पास आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है। वाद कारण प्रथम बार आज से 45 वर्ष पहले से कब्जा काश्त करने एवं अन्य व्यक्तियों के खाते बान्द देने और वादीगण के खाते नहीं बान्दने से उत्पन्न हुआ। तथा अंतिम रूप से वाद कारण प्रतिवादी द्वारा कल जमीन से बेदकल करने और फसल जप्त करने की घोष देने से वाद कारण अंतिम रूप से उत्पन्न हुआ है। वादीगण एक गरीब काश्तकार है, तथा जिनके पास इस जमीन के अलावा न तो कोई खाते की जमीन है और न ही ट्रेस पासर की जमीन है। केवल जीवका चलाने का यही एक मात्र साधन है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैराकार सरकार की ओर से जवाब पेश हुआ। जवाब में पैरोकार सरकार ने बताया कि ग्राम भीलवाडा नीचा के खसरा नम्बर 640 खसरा नम्बर रकबा 14.08 है0 किस्म गैर मुमकिन पठार व खसरा नम्बर 641/4 रकबा 2.1878 है0 किस्म गैर मुमकिन पठार दर्ज रिकार्ड है वर्तमान में खसरा नम्बर 640 वर रामप्रसाद पुत्र रामनारायण धाकड रकबा 1.0116 है0 केवलचन्द पुत्र नन्दकिशोर धाकड रकबा 0.5058 है0 व खसरा नम्बर 641/4 पर मदन पुत्र रामकिशन मीना रकबा 0.3794 है0 पर कब्जा किया गया था जिसे धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज कर पश्चात् कार्यवाही बेदखल किया गया है उक्त तीनों अतिक्रमी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है जिन्हे लगभग 20 वर्षो से उक्त भूमि पर कब्जा करने पर धारा 91 की कार्यवाही के पश्चात् बदखल किया गया है।

वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 1 नकल खसरा परिवर्तित सम्वत् 2076 नकल खसरा परिवर्तित सम्वत् 2076 नकल जमाबन्दी आंशिक ग्राम भीलवाडा सम्वत् 2074–77 नकल जमावन्दी आंश्कि ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 1 लगान रशीद प्रर्दश 10 लगान प्रर्दश 73 पेश की गई। साक्ष्य वादी में PW1 मदनलाल के बयान करायें गयें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि वादी के कब्जे काश्त में 4 वर्ष से भी अधिक समय से खसरा नम्बर 641/1 रकबा 8.15 बीघा पर मदनलाल काश्त करता चला आ रहा है खसरा नम्बर 639 रकबा 5.05 बीघा एवं खसरा नम्बर 640 रकबा 5 बीघा पर नन्दकिशोर एवं खसरा नम्बर 641 रकबा 5 बीघा पर रामप्रसाद काश्त करता चला आ रहा है वादीगण को विवादित भूमि पर काश्त करतें हुए लगभग 45 वर्ष हो गये है तथा जुर्माना जमा कराते चले आ रहे है इस जमीन के अलावा प्रार्थीगण के पास ओर कोई भूमि नही है वादीगण को रोजी–रोटी का साधन पर जमीन है इन नम्बरों में से अन्य व्यक्तियों को भूमि आवंटन हो चुकी है परन्तु वादीगण को भूमि आवंटन नही हुई। वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

द्वारा कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये परन्तु ना तो वादीगण को आवंटन हुई और ना नियमन की गई। वादीगण गरीब व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति एवं ओ.बी. सी भूमि हीन व्यक्ति है प्रतिवादी पैरोकार सरकार भूमि से बेदखल कर कब्जा छुडाना चाहता है प्रतिवादी द्वारा भूमि से बेदखल कर कब्जा छुडा लिया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी। क्योंकि वादीगण का विवादित आराजी पर 45 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है वादीगण को कब्जे के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल खसरा परिवर्तित सम्वत् 2076 पेश किया है जिसमें वादीगण का कब्जा दर्ज है नकल आंशिक जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 1 खादर पहाडी तथा खड्डे दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 1 में खादर, पहाडी तथा खड्डे दर्ज रिकार्ड है जिसकी किस्म गैर मुमकिन पठार दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 1 में राज्य सरकार का नाम दर्ज है खसरा नम्बर 640 रकबा 14.0754 है0 एवं खसरा नम्बर 641/4 रकबा 2.8178 है0 गैर मुमकिन पहाड एवं पठार दर्ज है नकल लगान रशीद प्रर्दश P10 लगायत प्रर्दश P73 ये यह साबति होता है कि वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है जिससे वादीगण के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही कर की गई। वादीगण द्वारा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। यह विचाराणीन है भूमि आवंटन एक अलग प्रक्रिया है तथा वादीगण नियमानुसार आवंटन कराने हेतु स्वतंत्र है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने के प्रावधान नही है। अतः वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष अनुज्ञेय नही होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

संख्या 22/2021	धारा ,88,89,91,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 23.4.25

समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां

उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री कृष्ण गोपाल भार्गव	अभिभाषक प्रतिवादीः–

वाद शीर्षक

उनवान

1. मदन आयु 65 वर्ष पुत्र रामकिशन जाति मीणा
2. रामप्रसाद आयु 55 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति धाकड
3. नन्दकिशोर आयु 60 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 23.04.2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडां जिला–बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		